**भारत सरकार**

**महिला एवं बाल विकास मंत्रालय**

**राज्य सभा**

**तारांकित प्रश्न संख्या 84**

**दिनांक 16 अगस्त, 2012 को उत्तर के लिए**

**निराश्रित महिलाओं संबंधी सर्वेक्षण**

**\*84. श्री भगत सिंह कोश्यारी** :

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) : उत्ताराखण्ड और अन्य राज्यों में, राज्य-वार कुल कितनी-कितनी विधवा, परित्यक्ता तथा निराश्रित महिलाएं हैं ;

(ख) : क्या सरकार ने ऐसी निराश्रित महिलाओं के संबंधा में कोई नया सर्वेक्षण कराया है या कराने का विचार रखती है जो तलाक न दिए जाने के बावजूद अपने-अपने पति से अलग रह रही है ;

(ग) : यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) : देश में राज्य-वार ऐसी कितनी-कितनी महिलाएं हैं ; और

(ङ) : सरकार द्वारा ऐसी महिलाओं के कल्याण के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है ?

**उत्तर**

**श्रीमती कृष्णा तीरथ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)**

(क) से (ड.) : विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है ।

**‘निराश्रित महिलाओं संबंधाी सर्वेक्षण’ विषय पर श्री भगत सिंह कोश्यारी द्वारा दिनांक 16 अगस्त, 2012 को पूछे जाने वाले राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 84 के उत्तर में संदर्भित विवरण**

(क) : जनगणना, 2001 के अनुसार, देश में 34.29 मिलियन विधवाएं और 2.34 मिलियन तलाकशुदापति से अलग हुई महिलाएं हैं । जनगणना में ऐसी महिलाओं की आर्थिक स्थिति नहीं दर्शाई गई है । जनगणना, 2001 के अनुसार उत्तराखंड सहित विधवाओं, तलाकशुदापति से अलग हुई महिलाओं की राज्य-वार संख्या **अनुलग्नक** पर दी गई है ।

(ख) : जी, नहीं ।

(ग) और (घ) : प्रश्न नहीं उठता ।

(ड.) : महिला एवं बाल विकास मंत्रालय निराश्रित महिलाओं सहित महिलाओं के कल्याण के लिए निम्नलिखित तीन स्कीमें क्रियान्वित कर रहा है :

1. कठिन परिस्थितियों में रहने वाली महिलाओं की सहायता और पुनर्वास हेतु स्वाधार ।
2. कठिन परिस्थितियों में रहने वाली महिलाओं की सहायता और पुनर्वास हेतु अल्पावास गृह ।
3. प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रमों के लिए सहायता(स्टेप), जिसके अंतर्गत परिसंपत्तिविहीन एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाली महिलाओं को कौशल उन्नयन प्रशिक्षण दिया जाता है ।

इनके अलावा, ग्रामीण विकास मंत्रालय निम्नलिखित तीन स्कीमों का संचालन कर रहा है :

1. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन स्कीम, इसके अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों से 40-59 वर्ष के आयु वर्ग की विधवा को प्रतिमाह 200-रुपये की दर से पेंशन प्रदान की जाती है ;
2. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृध्दावस्था पेंशन स्कीम, इसके अंतर्गत 60-79 वर्ष के व्यक्तियों को प्रतिमाह 200-रुपये की दर से पेंशन दी जाती है और गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवार की महिलाओं सहित 80 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को प्रतिमाह 500-रुपये दिया जाता है ; और
3. मनरेगा, इसके अंतर्गत वर्ष के दौरान महिला सहित इच्छुक व्यक्ति को 100 दिनों के रोजगार की गारंटी का हक है ।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भी वृध्द व्यक्तियों के लिए एक समेकित कार्यक्रम का संचालन कर रहा है । इसका क्रियान्वयन आश्रय, भोजन, चिकित्सा देखभाल आदि जैसी बुनियादी सुविधाएं देकर महिलाओं सहित वरिष्ठ नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से वर्ष 1992 से किया जा रहा है ।

**\*\*\*\*\***

**अनुलग्‍नक**

**“निराश्रित महिलाओं संबंधी सर्वेक्षण” के पुनर्वास हेतु योजना’ विषय पर श्री भगत सिंह कोश्‍यारी द्वारा दिनांक 16.8.2012 को पूछे जाने वाले राज्‍य सभा तारांकित प्रश्‍न संख्‍या 84 के उत्‍तर के भाग (क) में संदर्भित विवरण**

**देश में विधवाओं, तलाकशुदा और पति से अलग रह रही महिलाओं की राज्‍य-वार संख्‍या**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| क्र.सं. | राज्‍य का नाम | विधवाओं की संख्‍या | तलाकशुदा/परित्‍यक्‍त महिलाओं की संख्‍या |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 3270964 | 261525 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 25639 | 2830 |
| 3. | असम | 869005 | 68619 |
| 4 | अण्‍डमान व निकोबार | 8461 | 833 |
| 5. | बिहार | 1887575 | 35550 |
| 6. | चंडीगढ़ | 16788 | 917 |
| 7. | छात्तीसगढ | 771106 | 90985 |
| 8. | दादर व नगर हवेली | 5511 | 421 |
| 9. | दमन व दीव | 4979 | 521 |
| 10. | दिल्ली | 305940 | 13541 |
| 11. | गुजरात | 69052 | 1835 |
| 12. | गोवा | 1614413 | 105753 |
| 13. | हरियाणा | 533974 | 11410 |
| 14. | हिमाचल प्रदेश | 229664 | 8336 |
| 15. | झारखण्ड | 196604 | 11072 |
| 16. | जम्मू कश्मीर | 822827 | 44762 |
| 17. | कर्नाटक | 2322843 | 145046 |
| 18. | केरल | 1690508 | 196085 |
| 19. | लक्षद्वीप | 2136 | 551 |
| 20. | मध्य प्रदेश | 1752228 | 115807 |
| 21. | महाराष्ट् | 3726735 | 326198 |
| 22. | मणिपुर | 59459 | 8068 |
| 23. | मिज़ोरम | 20373 | 13181 |
| 24. | मेघालय | 59604 | 23927 |
| 25. | नागालैंड | 26516 | 6008 |
| 26. | ओडिसा | 1370123 | 98196 |
| 27. | पंजाब | 662113 | 22595 |
| 28. | पुद्दुचेरी | 53040 | 3865 |
| 29. | राजस्थान | 1589726 | 49544 |
| 30. | सिक्किम | 10005 | 2366 |
| 31. | तमिलनाडू | 2976137 | 249356 |
| 32. | त्रिपुरा | 123817 | 13383 |
| 33. | उत्तर प्रदेश | 3763168 | 112855 |
| 34. | उत्तराखण्ड | 293331 | 9645 |
| 35. | पश्चिम बंगाल | 3155365 | 287344 |
|  | कुल | **34289729** | **2342940** |

**स्रोत- जनगणना, 2011**